

राजस्थान सरकार  
देवस्थान विभाग

क्रमांक प.6(1)देव/89-पार्ट

जयपुर, दिनांक 5.10.2018

अधिसूचना

नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959(1959 का राजस्थान अधिनियम 13) की धारा 5(4)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नांकित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से नाथद्वारा मंदिर मंडल के सदस्य के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है:-

गुजरात

- 1 श्रीमती कोकिला बेन डी. अम्बानी
- 2 श्री परिमल नथवानी
- 3 श्री विनोद गोरडिया

महाराष्ट्र

- 1 श्री एम.एल. बक्ता
- 2 श्री निरजन हीरानन्दानी
- 3 सुरेश संघवी

राजस्थान

- 1 श्री महेन्द्र सिंह सिंघवी
- 2 श्री राजीव महर्षि

अन्य राज्य

- 1 श्री परेश पारेख

धारा 5(1)(iii) के तहत श्रीमती कोकिला बेन डी. अम्बानी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

*sd/-*  
(कर्ण सिंह गोठवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय देवस्थान राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) देवस्थान राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
6. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
7. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर, राजसमन्द।
9. निदेशक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
10. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रकाशित राजपत्र की दो प्रतियां भिजवाने का श्रम करें।
11. मुख्य निष्पादन अधिकारी, मन्दिर मण्डल, नाथद्वारा मय अतिरिक्त 12 प्रतियों के (समस्त सदस्यों को भिजवाने हेतु)
12. रक्षित पत्रावली।

*sd/-*  
संयुक्त शासन सचिव